न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :– संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या :– 10/2020
दायर दिनाकं :– 02.07.2020
निर्णय दिनांक :– 18.04.2022

उनवान

1. कैलाश पुत्र मांग्या जाति मीना ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा।
2. कालूराम पुत्र मांग्या जाति मीना ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसीलदौसा।
3. रणजीता पुत्र मांग्या जाति मीना ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र प्रहलाद
2. बाबूलाल पुत्र प्रहलाद
3. विश्राम पुत्र प्रहलाद
4. जयराम पुत्र प्रहलाद
5. भौरीलाल पुत्र रेवड

समस्त जाति मीना निवासी महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा।

6. तहसीलदार दौसा।

(अप्रार्थीगण)

निर्णयः– दिनांक 18.04.2022

प्रार्थना–पत्र अ0 धारा 128 एल.आर.एक्ट

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नम्बर 158 रकबा 0.76 है0 भूमि ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा में स्थित है। उक्त भूमि के वादीगण 1/4 हिस्से के समस्त खातेदार है ... देवी प्रार्थीगण की माता है जिसका देहान्त हो गया उसके हिस्से की भूमि भी वादीगण की है। वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है व लगान सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 17:09:19 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (र

अदा करते चले आ रहे है तथा वादीगण का वास्तविक कब्जा है। उक्त भूमि का पर्व में सीमाज्ञान कराया जा चुका है। उक्त सीमाज्ञान के अनुसार अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 5 ने पत्थरगढी नही करने दी। इसलिए दावा करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि की पत्थरगढी के आदेश देने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 5 की तामील होने के बावजूद उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत किया गया और नही उनकी ओर से कोई उपस्थित हुआ। अतः अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 5 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। पैरोकार सरकार ने अवगत कराया है कि पत्थरगढी के आदेश होते है तो किसी प्रकार की आपत्ति नही है। बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाने का अनुरोध किया गया है।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार दौसा की ओर से पत्थरगढी करवाने में कोई आपत्ति नही की गई है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 158 रकबा 0.76 है0 का अनुभवी पटवारियों/भू.अ. निरी0 की टीम गठित कर स्वयं की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। सीमाज्ञान–पत्थरगढी के दौरान अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ट लेख भण्डार हो

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 17:39:15 IST
Reason: SelfAttested

संजय कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज)